

4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी अलका विश्वादे (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

मुकदमा नम्बर - 63/2017

1. बनवारी पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी भडून्दा कलां तहसील व जिला झुंझुनू
 2. महेंद्र पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी भडून्दा कलां तहसील व जिला झुंझुनू
- प्रार्थीगण

बनाम

1. रामनाथ पुत्र सावंतराम
 2. हरिराम पुत्र भुराराम
 3. प्रमेश्वरी पत्नी प्यारेलाल
 4. वृजलाल पुत्र सावंतराम
 5. ज्याकी पत्नी घडसीराम
 6. आनप्रकाश पुत्र घडसीराम
 7. सुनित्रा देवी पत्नी विधाधर
 8. नहिपाल पुत्र विधाधर
 9. सुनिल पुत्र विधाधर
 10. राजपाल पुत्र विधाधर
 11. रोहिताश पुत्र घडसीराम
 12. संतोष पत्नी महावीर
 13. नरेन्द्र पुत्र महावीर
 14. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा भडून्दा तहसील व जिला झुंझुनू
 15. भारतीय स्टेट बैंक शाखा पीरू सिंह सर्किल झुंझुनू
 16. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार झुंझुनू
- समस्त जातियान जाटान निवासीगण भडून्दा कलां तहसील व जिला झुंझुनू

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक:-31.07.2018

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम भडून्दा कला जिसके वर्तमान खसरा न. 1955/33 व खसरा न. 34 है जिनको वादीगण काश्त करते हैं व काबिज है। यह कि अप्रार्थी रामनाथ पुत्र सावंतराम की खातेदारी की भूमि खसरा न. 1956/389 हरिराम की खातेदारी की भूमि खसरा न. 390 प्रमेश्वरी की खातेदारी की भूमि खसरा न. 52, वृजलाल के खातेदारी की भूमि खसरा न. 32 ग्राम भडून्दा कला में स्थित है तथा अप्रार्थीगण 5 लगायत 13 की सहखातेदारी की भूमि खसरा न. 36, 37 है। प्रार्थीगण झुंझुनू से बनाना जाने वाली सड़क से 'ए' बिन्दु से 'ए' 'बी' 'सी' 'डी' 'ई' तक अपने खेत व रिहायशी मकान तक आते हैं। 'ए' 'बी' 'सी' 'डी' 'ई' तक कदीमी रास्ता है। जो प्रार्थीगण के पूर्वजों के समय से प्रचलित व मौजूद रहा है। वर्तमान में भी उक्त रास्ता चालु है। परन्तु इसकी चौड़ाई बहुत कम है। प्रार्थीगण 'ए' 'बी' 'सी' 'डी' 'ई' रास्ता को 12 फुट चौड़ा चाहते हैं तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में इन्द्राज करना चाहते हैं। प्रार्थीगण के खेत में जाने

अलका विश्वादे
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। उक्त रास्ते की डीएलसी दब जमा कराने को प्रार्थी तैयार है। यह कि 'ए' 'बी' 'सी' 'डी' 'ई' उक्त रास्ता प्रार्थीगण की अत्यन्तिक आवश्यकता है। खसरा न. 36 व 37 के खातेदार राजस्व रिकार्ड में अमल दशमद करने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थना-पत्र श्रीमान जी के श्रवणाधिकार में व क्षेत्राधिकार होने पर पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर मौजूदा रास्ता 'ए' 'बी' 'सी' 'डी' 'ई' को 12 फुट चौड़ा कराया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दशमद करने का निवेदन किया है। उक्तानुसार प्रार्थना-पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाबदेही तलब किया गया व अप्रार्थीगण 16 से रास्ते वावत मौका रिपोर्ट दाही गई। दिनांक 08.02.2018 को अप्रार्थी न. 1 ने जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया व अप्रार्थी न. 2 लगायत 5, 10, 11 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी न. 6, 7, 12, 13 द्वारा जवाब प्रार्थना-पत्र समयावधि में पेश नहीं करने पर उनकी जवाबदेही बन्द की गई। अप्रार्थी न. 16 में अपने पत्र क्रमांक राजस्व/251क/2017/2055 दिनांक 05.07.2018 के द्वारा मौका रिपोर्ट निम्न कथनों के अनुसार पेश की जो निम्नानुसार है।

1. प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम भड्डन्दा कलां में खसरा न. 1955/33 रकबा 0.72 हैक्टर प्रार्थी बनवारी पुत्र गुगनराम जाट व खसरा न. 33 रकबा 0.72 हैक्टर प्रार्थी महेंद्र सिंह पिता गुगनराम जाट निवासी भड्डन्दा कलां के नाम दर्ज है। जिसे प्रार्थीगण काश्त करते है व मकानात बनाकर आबाद है।
2. प्रार्थीगण के उक्त खसरा न. 1955/33 व 33 में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण सड़क से अपने खेत व घर तक पगडण्डी आवागमन करते है।
3. प्रार्थीगण के खसरा न. 33, 1955/33 में सड़क से आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता निम्न प्रकार है।


क्र. सं.	खसरा न. जिसमें रास्ता प्रस्तावित किया है	प्रस्तावित रास्ते का रकबा		डीएलसी दर	राशि डीएलसी दर से रु.	खातेदार का भाग
		ल. x चौ. मीटर में	क्षेत्रफल वर्गमीटर			
1	394	4 X 4	16	437770	700	श्रवणी देवी पत्नी धन्नाराम, ख्यालीराम पुत्र धन्नाराम रहिन हिस्सा 1/6 एस.वी.आई शाखा शुंशुन, जगदीश, शीशराम पुत्र धन्नाराम हिस्सा 1/6 दरियासिंह पुत्र चुन्नाराम रहिम हिस्सा 1/3 बडीदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा भड्डन्दा कलां इन्द्राज, मंगलचन्द पुत्र पाकर हिस्सा 2/9 लिछमा पत्नी पाकर हिस्सा 1/9 रहिम बडीदा राज. क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा इस्लामपुर जाति जाट सादेह खातेदार
2	32	86 X 4	344	437770	15059	वृजलाल पुत्र सावतराम जाति जाट सा. ग्रम खातेदार
3	36	110 X 4	440	437770	19262	ज्यानकी पत्नी घडसोराम, ओमप्रकाश पुत्र घडसोराम हिस्सा 1/5, रोहिताश पुत्र घडसोराम रहिम हिस्सा 2/5 बडीदा राज क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा भड्डन्दा कला. संताप पत्नी महावीर, नरन्द पुत्र महावीर 1/5, सुमित्रा देवी पत्नी विधाधर, सुनिल कुमार महिपाल सिंह, राजपाल पुत्र विधाधर हिस्सा 1/5 जाति जाट सा. ग्राम खातेदार
4	33	80 X 4	320	437770	प्रार्थी	महेंद्र सिंह पुत्र गुगनराम जाति जाट सादेह खातेदार रहिम बडीदा सा क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक भड्डन्दा कला

अखण्ड अधिकारी
सुन्दर (राजस्थान)

प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों मौका रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन करते हुए बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। जिससे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र राज्य सरकार से प्राप्त परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में व मौका रिपोर्ट तहसीलदार झुंझुनू से कदीमी होकर प्रचलित रास्ता होना जाहिर होता है। प्रार्थीगण केवल प्रचलित रास्ते को 12 फुट चौड़ा का अनुतोष चाहा गया है। जो वर्तमान संसाधन आवागमन के मध्यनजर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थना-पत्र मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शे अनुसार स्वीकार किया जाता है कि भड़ून्दा कला में प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तहसीलदार झुंझुनू के अनुसार कटान का रास्ता इस शर्त पर रिकार्ड में दर्ज करने तथा चालु कराने का आदेश दिया जाता है कि आवेदकगण अनावेदकगण को तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित डीएलसी दर से अंकित राशि रूपये 35021/-रूपये का भुगतान रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमि के खातेदारों को भुगतान करें। यदि उक्त राशि अनावेदकगण लेने से इन्कार करे तो उस स्थिति में यह राशि बतौर अमानता तहसील कार्यालय झुंझुनू में जमा करवाई जावे। रास्ते की भूमि में अन्य कोई पेड़ या अवरोध हो तो अनावेदकगण अपने स्वयं के खर्चे पर इन्हें हटा लेवे अन्यथा तहसीलदार झुंझुनू इन्हें अपनी देख-रेख में हटवाकर नियमानुसार निलाम कर राशि का भुगतान खर्चा काटकर अनावेदकगण को करें व उनके द्वारा नहीं लेने की स्थिति में बतौर अमानता कार्यालय तहसील झुंझुनू में जमा करावे। तत्पश्चात रिकार्ड में रास्ता दर्ज कर चालु कराने की कार्यवाही करें। तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा आदेश का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय आज दिनांक 31.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

 31.7.18

(अलका विशनोई)

उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

उपखण्ड अधिकारी

झुंझुनू (राजस्थान)